

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक : /बा०वि०परि०/प्रशिक्षण/2016-17 दिनांक : ०7 जून, 2016

आदेश

निदेशालय आदेश सं०: सी-490/बा०वि०परि०/प्रशि०/ 2016-17, दिनांक 01.06.2016 के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं मुख्य सेविकाओं का कार्य प्रशिक्षण एवं पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्गत किया गया था। चूँकि स्ट्रेप (स्टेट ट्रेनिंग एक्शन प्लान) का अनुमोदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, अतः प्रशिक्षण सम्बन्धी उपरोक्त आदेश निरस्त किया जाता है।

- ६० -

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक।

पुष्ठांकन संख्या : e-534 / तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उ०प्र० को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
3. सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थाएं/केन्द्र को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

(दुर्गेश हुक्कु)
सहायक निदेशक।